संख्या 65 /X 3 18-13(41)/2007

प्रेषक

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 देहरादूनः दिनांकः-15 फरवरी, 2018

विषयः- प्रदेश में वनाग्नि की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि वनों में अग्नि दुर्धटनाओं से प्रतिवर्ष बहुमूल्य राष्ट्रीय वन सम्पदा की अपूरणीय क्षति होती है। गत वर्ष प्रदेश में हुई न्यून वर्षा एवं तापमान में भीषण बढ़ोतरी के कारण उत्तराखण्ड के जंगलों में वनाग्नि की भीषण घटनाएं प्रकाश में आयी, जिसके नियंत्रण हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही करते हुए एन0डी0आर0एफ0, पैरामिल्ट्री फोर्स तथा वायुसेना के हेलीकाप्टर का उपयोग किया गया तथा सभी के सहयोग से वनाग्नि पर नियंत्रण पाया गया। इस वनाग्नि सत्र में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए वनाग्नि के नियंत्रण/रोकथाम हेतु अभी से प्रभावी कदम उठाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

2- वनों में अग्नि की रोकथाम के लिए यद्यपि वन विभाग द्वारा प्रभागीय स्तर पर वन प्रबन्धन अग्नि योजना का निरूपण तथा अन्य आवश्यक तैयारी प्रारम्भ कर दी गई हैं। अधिकांश जनपदों में "**जनपद स्तरीय वनाग्नि नियंत्रण समिति**" की बैठक भी सम्पादित कर ली गई है, लेकिन वनाग्नि पर नियंत्रण पाने का दायित्व केवल वन विभाग द्वारा निर्वहन किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रदेश में वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायः-

1. जिलाधिकारियों द्वारा अपनी अध्यक्षता में वनाग्नि काल में समस्त सम्बन्धित विभागों की साप्ताहिक अथवा पाक्षिक बैठक आयोजित की जाय, जिसमें वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु की गयी कार्यवाहियों की समीक्षा की जाये एवं सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश दिये जाए।
2. वनाग्नि काल में वन विभाग के स्वामित्व वाले वाहनों का अधिग्रहण नहीं किया जाय तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुरोध किये जाने पर अन्य विभागों के वाहन भी वनाग्नि नियंत्रण हेतु उपलब्ध कराये जाएं।
3. सिविल एवं सोयम वनों तथा पंचायती वनों में वनाग्नि की रोकथाम, नियंत्रण एवं शमन में राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों का दायित्व भी निर्धारण किया जाए तथा राजस्व कर्मियों द्वारा सिविल एवं सोयम वनों तथा पंचायती वनों में होने वाली वनाग्नि दुर्घटनाओं की सूचना वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अंकित कर दैनिक रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में स्थापित मास्टर कन्ट्रोल रूम को दिये जाने की व्यवस्था की जाए।

Scanned by CamScanner

4. वनाग्नि काल में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पुलिस विभाग के सूचना तंत्र का भी उपयोग किया जाए।

5. वनाग्नि काल के दौरान राजस्व विभाग के मासिक/पाक्षिक समीक्षा बैठक में वनाग्नि नियंत्रण व्यवस्था का विषय भी बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित किया जाए।

6. वनाग्नि काल के दौरान क्षेत्रीय प्रभागों के अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटी जनपद स्तर पर केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन/मूल्यांकन/अनुश्रवण में न लगायी जाए।

भवदीय,

12/2/2018

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– (1)/X–3–18–13(41)/2007,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. शासकीय पोर्टल।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 धीरज पाण्डेय)
अपर सचिव

D/Note & Drft/F-3/Jan & Feb/G O Let/2018

Scanned by CamScanner